फा.सं. 20/16/04/2018- जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर, 2018

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर
(सभी) प्रधान महानिदेशक / निदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

<u>विषय: भारतीय चाय बोर्ड द्वारा स्रोत पर कर का संग्रह - की बावत</u>

भारतीय चाय बोर्ड (एतद्पश्चात "चाय बोर्ड" से संदर्भित किया गया है), देश भर में चाय के व्यापार के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली जिसमें भुगतानों का संग्रह और निपटान शामिल है, के संचालक होने के नाते, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर की श्रेणी में आते हैं। केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (एतद्पश्चात "सीजीएसटी अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 52 के प्रावधानों के अनुसार चाय बोर्ड स्रोत पर कर के संग्रह का उत्तरदायी हैं। (एतद्पश्चात "टीसीएस" से संदर्भित किया गया है)

2. उक्त नीलामी में भाग लेने वाले विक्रेता होते हैं अर्थात चाय उत्पादक, और नीलामी करने वाले ऐसे विक्रेताओं और खरीदारों की ओर से नीलामी की जाती है।

3. यह अभ्यावेदन किया गया है कि उक्त नीलामी में खरीदार एक समेकित राशि का भुगतान चाय बोर्ड के एस्क्रो अकाउंट में कर सकते हैं। उक्त समेकित राशि, नीलामियों पर की गई बिक्री पर चार्ज और खरीद दलालों, विक्रेताओं, नीलामीकर्ताओं और खरीदारों से चाय बोर्ड द्वारा वसूल की गई राशि चाय के मूल्य के अनुसार होती है। अतः चाय बोर्ड उक्त एस्क्रौ खाते से विक्रेताओं (अर्थात चाय उत्पादकों), को उनके माल (अर्थात चाय) और नीलामीकर्ताओं (अर्थात दलाल) द्वारा की गई सेवाओं की आपूर्ति के लिए भुगतान करेगा। किसी भी परिस्थिति में, चाय बोर्ड द्वारा माल की आपूर्ति अर्थात, नीलामी में बेची गई चाय के आधार पर नीलामीकर्ताओं को भुगतान किया जाता है।

4. चाय बोर्ड से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या उन्हें चाय बेचने वालों (अर्थात चाय उत्पादकों), से या चाय के नीलामी करने वालों अथवा दोनों से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 52 के तहत टीसीएस एकत्र करना चाहिए।

5. मामले की जांच-परख की गई है। सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168 की उप धारा (1) के तहत, यह स्पष्ट किया गया है, कि अधिनियम के कार्यान्वयन में एकरूपता के उद्देश्य से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अधिसूचित दर पर टीसीएस, क्रमश: चाय बोर्ड द्वारा एकत्र किया जाएगा -

(i) विक्रेताओं (अर्थात चाय उत्पादकों) माल की आपूर्ति के शुद्ध मूल्य पर अर्थात चाय का मूल्य उत्पादको और,

(ii) नीलामी सेवाओं की आपूर्ति के शुद्ध मूल्य पर (अर्थात दलाली) ।

6. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री को प्रचारित करने के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किया जा सकता है।

7. उपरोक्त निर्देशों के क्रियान्वयन में कठिनाई, यदि कोई हो, तो बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है।

8. हिंदी संस्करण का अनुसरण किया जाए।

(उपेंद्र गुप्ता)
आयुक्त (जीएसटी)